



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति

दिनांक 18.03.2023

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की गई प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते गौ हत्या के मामले में 05 अभियुक्तगणों को मा0 न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई 07-07 वर्ष के कारावास की सजा एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया ।

वर्ष 2016 में अभियुक्तगण 1. साजिद पुत्र अब्दुल हमीद अंसारी, 2. ताबिश पुत्र कयूम, 3. जावेद पुत्र कयूम, 4. शोएब पुत्र कयूम निवासी मौहल्ला अफगान व 5. कामिल पुत्र निन्ना निवासी मौहल्ला अफगान के विरुद्ध मु0अ0सं0 66/16 धारा 279,427,307,149 भादवि व 3/5क/8 गौवध निवारण अधि व पशुकूरता अधि0 में थाना कैराना पर अभियोग पंजीकृत किया गया था । इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये । **जिसके क्रम में आज दिनांक 18.03.2023 को माननीय न्यायालय एडीजे-कोर्ट कैराना, शामली द्वारा धारा 279,427,307,149 भादवि में अभियुक्तगणों को दोषमुक्त किया गया है तथा धारा 3/5क/8 गौवध निवारण अधि व पशुकूरता अधि0 में दोषी पाते हुए 07-07 वर्ष के कारावास की सजा व 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है ।** अर्थदंड अदा न करने पर 06-06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है । इसके अतिरिक्त पशुकूरता अधि0 धारा 11 (घ) में 50-50/- के अर्थदंड की सजा से डित किया गया है । अर्थदंड अदा न करने पर 01-01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

1. साजिद पुत्र अब्दुल हमीद अंसारी निवासी मौहल्ला अफगान थाना कैराना जनपद शामली ।
2. ताबिश पुत्र कयूम निवासी मौहल्ला अफगान थाना कैराना जनपद शामली ।
3. जावेद पुत्र कयूम निवासी मौहल्ला अफगान थाना कैराना जनपद शामली ।
4. शोएब पुत्र कयूम निवासी मौहल्ला अफगान थाना कैराना जनपद शामली ।
5. कामिल पुत्र निन्ना निवासी मौहल्ला अफगान थाना कैराना जनपद शामली ।

थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 18.03.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 13.02.2023 को कैराना क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने के संबंध में पीडिता के परिजन द्वारा थाना कैराना पर लिखित तहरीर दी गई। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश प्रभारी निरीक्षक कैराना को दिये गये थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. आसिफ पुत्र हारून अंसारी निवासी ग्राम इस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त:-

1. मु0अ0स0 68/23 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पोक्सो अधि0 थाना कैराना।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री इन्द्रपाल सिंह थाना कैराना जनपद शामली।
2. का0 अनिल कुमार थाना कैराना जनपद शामली।



थाना झिंझाना

01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध कच्ची/अपमिश्रित शराब 10 लीटर एवं 01 किग्रा यूरिया बरामद

आज दिनांक 18.03.2023 को थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त ओमवीर उर्फ मोमबीर पुत्र गजे सिंह निवासी ग्राम गागौर थाना झिंझाना को अवैध 10 लीटर कच्ची/अपमिश्रित शराब व 01 किग्रा यूरिया सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 116/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272/273 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामिल।
2. मु0अ0सं0 504/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामिल।
3. मु0अ0सं0 781/19 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामिल।
4. मु0अ0सं0 667/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272/273 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामिल।
5. मु0अ0सं0 869/16 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामिल।



थाना कोतवाली शामिल।

01 वारंटी गिरफ्तार।

आज दिनांक 18.03.2023 को थाना कोतवाली शामिल पुलिस द्वारा वाद सख्या 3720/9/21 धारा 138 एनआई एक्ट में वारंटी फुरकान पुत्र मौ0 उस्मान निवासी विजयनगर नई बस्ती काशीपुर थाना काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना थानाभवन।

01 वारंटी गिरफ्तार।

आज दिनांक 18.03.2023 को थाना थानाभवन पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 664/15 धारा 138 B विद्युत अधि0 के वाद सख्या 2229/18 में वारंटी फुरकान पुत्र हनीफ निवासी मौहल्ला नानू थाना थानाभवन को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।